न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026
(राजेश्वरी थाना कांड सं0–161 / 2025)

	1. नागेश्वर मेहता उर्फ नागो मेहता 2. बिरेन्द्र मेहता दोनो का पिता परमेश्वरी मेहता, साकिन कनजरा वार्ड नं0–13 थाना राजेश्वरी, जिला सुपौल.....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
06 / 04 / 26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) नागेश्वर मेहता उर्फ नागो मेहता एवं (2) बिरेन्द्र मेहता** की ओर से दाखिल किया गया है, राजेश्वरी थाना कांड संख्या–161 / 2025, धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 351(2), 352(2) / 3(5) बी0एन0एस0 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री तापेश्वर कुमार एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व कोई आपराधिक इतिहास लंबित नहीं है। उभयपक्षों के बीच मेल व सुलह हो गया है। प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा राजेश्वरी थाना कांड सं0–162 / 2025 अभियुक्त आवेदक नागेश्वर मेहता उर्फ नागो मेहता के द्वारा दर्ज किया गया है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदकगण सूचक शंकर मेहता के फर्द बयान के आधार पर संस्थित राजेश्वरी थाना कांड संख्या–161 / 2025, धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 351(2), 352(2) / 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त है। सूचक ने अपने फर्द बयान में अभिकथन किया है, दिनांक 31 / 12 / 2025 को समय करीब सात बजे सुबह में अभियुक्त आवेदक नागेश्वर मेहता के हाथ में फरसा, बिरेन्द्र मेहता के हाथ में रड, उमेश मेहता के हाथ में लाठी एवं चंदन कुमार अपने हाथ में चाकू लेकर सूचक के पुराने बासडीह पर आकर भद्दी भद्दी गाली गलौज करने लगा तो वे एवं उसके पिता अभियुक्त आवेदकगण को गाली गलौज करने से मना किया, तो नागेश्वर मेहता के आदेश पर सभी अभियुक्त आवे. दकगण मिलकर उसके पिता को पकड़कर जान मारने की नियत से मारपीट कर टुड्डी फाड़ दिया तथा उसे भी फरसा, तलवार से मारपीट करन जख्मी कर दिया।	Contd

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026
(राजेश्वरी थाना कांड सं0–161 / 2025)

<u>लगातार.....</u> 06 / 04 / 26	अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवदेक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। वाद दैनिकी के कंडिका 3, 7, 8, में साक्षियों का बयान है एवं कंडिका 21 में संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी है तथा कंडिका 25 एवं 33 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन उल्लेखित है और चिकित्सक ने जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति पाया है। सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह की बात स्वीकार करता है तथा कहता है कि अभियुक्तों से उसका समझौता हो गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) नागेश्वर मेहता उर्फ नागो मेहता एवं (2) बिरेन्द्र मेहता** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पु. लिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 20,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	